

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

1. अपील संख्या - 44/2014/जयपुर

2. अपील संख्या - 45/2014/जयपुर

मैसर्स श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाईनेंस कम्पनी लि०,  
4ए जैम्स एन्कलेव, केलगिरी रोड,  
रिलायंसफ्रैश के पास, मालविय नगर, जयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक आयुक्त,  
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त तृतीय, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित :

श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन.के.बैद, उप राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 17.07.2017

निर्णय

1. उपर्युक्त दोनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेशों दिनांक 01.01.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त तृतीय, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 55, 61 एवं 11 के अन्तर्गत पारित आदेशों के जरिये कायम की गयी मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है।
2. इन सभी प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी कम्पनी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 24.07.2012 को सहायक सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड तृतीय, वृत्त तृतीय, प्रतिकरापवंचन राजस्थान, जयपुर द्वारा किया गया। जांच पर पाया गया कि व्यवहारी बैंक द्वारा ऋण किश्तें चुकाने में दोषी ऋणी ग्राहकों के वाहनों को कानूनी कार्यवाही पश्चात ऋणी ग्राहकों के नाम से पूर्व पंजीकृत वाहन को अपने कब्जे में ले लिया जाता है। कब्जे में लिये गये पूर्व पंजीकृत वाहनों का नवीन पंजीकरण व्यवहारी के स्वयं के नाम से परिवहन विभाग द्वारा करवाया जाता है एवं अपीलार्थी कम्पनी द्वारा नवीन पंजीकरण के लिए विहित फीस परिवहन विभाग में जमा कराई जाती है। इस प्रकार कब्जे में लिये गये पूर्व पंजीकृत वाहनों का नवीन पंजीकरण स्वयं के नाम से करवाने पर पूर्ण स्वामित्व स्वयं व्यवहारी का हो जाता है। पूर्व पंजीकृत वाहनों का स्वामित्व स्वयं के नाम करवाने के पश्चात व्यवहारी कम्पनी द्वारा अपने पूर्ण स्वामित्व में लिये गये वाहनों की बिक्री नीलामी/बोली के माध्यम से अधिकतम बोलीदाता को की जाती है। इस प्रकार प्रयुक्त वाहनों का विक्रय नये ग्राहकों को किये जाने के फलस्वरूप उनकी बिक्री करयोग्य है। अपीलार्थी कम्पनी द्वारा प्रयुक्त वाहनों की बिक्री पर वैट अदा नहीं किया जाकर कर का परिवर्जन/अपवंचन किया जाना पाया गया। नियमानुसार उक्त अभियोग के साथ पत्रावली जांच अधिकारी से कर निर्धारण अधिकारी के यहां स्थानान्तरित की गयी। कर निर्धारण अधिकारी ने पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि व्यवहारी कम्पनी यूज्ड मोटर वाहन की बिक्री विवादित अवधियों में मोटर व्हीकल दर से करदेयता है। जिसके लिए कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी कम्पनी को कारण बताओं नोटिस जारी

लगातार.....2



कर निम्नतालिका के अनुसार मांग सृजित की गई। जिनसे व्यथित होकर, अपीलार्थी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकारते हुए अपीलीय अधिकारी ने अपने विस्तृत आदेश दि. 01.01.2014 जारी किये, जिनके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 83 के तहत यह अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिनका विवरण सारणी में दर्शाया गया है :-

अ. सं.	अपीलीय अधिकारी की अपील संख्या	कर निर्धा. आदेश दि०	वित्तीय वर्ष	कर राशि	ब्याज राशि	शास्ति राशि
44/14	37/अपील्स III/वेट/13-14	12.03.2013	11-12	35,38,000	6,01,460	70,76,000
45/14	38/अपील्स III/वेट/13-14	12.03.2013	12-13	17,17,000	85,850	34,34,000

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
5. बहस के दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कहा कि अपीलार्थी बैंकिंग नियामक अधिनियम 1949 के अन्तर्गत स्थापित एक बैंक है और अन्य बैंकिंग गतिविधियों के अतिरिक्त उपभोक्ताओं को वाहन क्रय करने हेतु ऋण प्रदान करती है। उपभोक्ता द्वारा वाहन अपने नाम से क्रय किया जाता है। व्यवहारी द्वारा एक ऋण संविदा के तहत उपभोक्ता को वित्तीय सहायता दी जाती है। ऋण की प्रतिभूति के रूप में व्यवहारी वाहन मालिक से वाहन को 'हाइपोथिकेट' (Hypothicate) करता है। ऋण प्राप्तकर्ता ऋण की किश्तों के भुगतान में दोषी हो जाता है तो व्यवहारी द्वारा अपने शेष ऋण की वसूली हेतु वाहन को अपने कब्जे में लेकर नीलामी/बोली के द्वारा बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में अपीलार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का प्रतिफल प्राप्त नहीं किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान व्यवहारी कभी भी वाहन का स्वामी नहीं बनता और हाइपोथिकेट एग्रीमेन्ट के अनुसार व्यवहारी वाहन स्वामी की ओर से वाहन को बेचता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 2(35) के तहत उक्त वाहनों की बिक्री विक्रय की परिभाषा में नहीं आती, क्योंकि वस्तु का स्थानान्तरण किसी भी प्रकार के नगद या आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये नहीं होता है। वाहन का विक्रय व्यवहारी द्वारा ऋण प्राप्तकर्ता की ओर से इस प्रकार किया जाता है कि उसे वाहनों का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो तथा यह सभी संव्यवहार व्यवहारी की नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज है, जिस पर धारा 25/26 के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यवाही गैर कानूनी व विधिविरुद्ध है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि व्यवहारी का उद्देश्य इस कार्य हेतु लाभ कमाना नहीं है बल्कि ऋणी द्वारा वाहन पैटे जो ऋण लिया जाता है उसकी अदायगी समय पर नहीं करने पर ऋण की वसूली हेतु व्यवहारी द्वारा विधिनुसार वाहन को जब्त कर उसको विक्रय कर ऋण की भरपायी की जाती है तथा विक्रय में यदि अधिक राशि प्राप्त होती है तो वह राशि ऋणी को अदा कर दी जाती है। इस प्रकार व्यवहारी का विक्रय के पीछे उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है बल्कि अपने ऋण की भरपायी करना है जो विक्रय की परिभाषा में नहीं आता है। व्यवहारी के अधिवक्ता ने विकल्प में यह भी तर्क दिया कि यदि उक्त पुराने वाहनों के विक्रय पर व्यवहारी पर जो कर लगाया है उसकी कर बोर्ड द्वारा यदि पुष्टि की जाती है तो ऐसी स्थिति में जो शास्ति लगायी गई है उसे माफ किया जावे क्योंकि उक्त वाहनों की बिक्री कर योग्य है या नहीं, इसकी जानकारी व्यवहारी को नहीं थी तथा व्यवहारी का आशय कर चोरी करने का नहीं था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने मै० सुन्दरम फाईनेंस लि० बनाम केरला राज्य के निर्णय में मोटर व्हीकल के ऋण में उसकी वसूली को विक्रय नहीं माना है। अतः अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार की जावे तथा अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त किया जावे। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये :-

1- State of Panjab v/s Bajaj Electricals (1970) 25 STC Page 82(SC)

2- G. Venkataswami Naidu v/s CIT (1959) 35 ITR 594 (SC)

3- M/s T.V.S. Finance Ltd. Tirupati v/s State of Andhra Pradesh TA No.948/08



4-N.S.S. Enterprises v/s The State of Punjab and Anr.(2010) 30 VST 244 Panjab& Hyryana

5-Xcell Automation v/s Government of Punjab& Anr (2007) 5 VST 308 (P&H)

6- Hindustan Steel Ltd. v/s State of Orissa (1970) AIR 253 (SC)

7- ABY Engineers and Consultains(p)Ltd.,v/sSales Tax Officer Orderdt.5.3.2010 (HEKERALA)

8-Associated Cement Compny Ltd. v/s CTO, Kota(1981) 48 STC 466(SC)

9-North Malabar District Co-operative Supply and Markting Society Ltd. v/s Asstt. Commissioner& Ors. (1998) 111 STC 271 (Kerla)

6. इसके विपरीत प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलें अस्वीकार करने की प्रार्थना की, कि व्यवहारी द्वारा कर की चोरी की गई है, इस कारण शास्ति आरोपित की गई है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आर्थिक अपराध के मामलों में आपराधिक आशय नहीं देखा जाता है। कर अदा करने का दीवानी दायित्व व्यवहारी का था लेकिन व्यवहारी ने कर की चोरी करने के आशय से कर योग्य बिक्री पर कर अदा नहीं कर, कर की चोरी की है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुन्दरम फाईनेंस लि० में जो निर्णय दिया है उसके तथ्य अलग है इस कारण उसका फायदा व्यवहारी को नहीं मिलता है, बल्कि मै० फेडरल बैंक लि० के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो निर्णय हस्तगत प्रकरण में पूर्णतया लागू होता है। अतः अपीलार्थी की अपीलें खारिज की जावें।

7. हमने दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया व अपीलार्थी के अधिवक्ता की ओर से की गई बहस, लिखित बहस का एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया।

8. उक्त प्रकरणों की स्थिति, परिस्थिति व तथ्य माननीय राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर द्वारा अपील संख्या 627 से 629/2015/जयपुर मैसर्स बजाज फाईनेंस लि., जयपुर बनाम सहायक आयुक्त निर्णय दिनांक 09.02.2017 एवं आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि० बनाम सीटीओ 47 टीयूडी पार्ट 4 पेज 171 निर्णय दिनांक 20.12.2016 में दिये गये निर्णयों से पूर्णतः आच्छादित है। अतः उपरोक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें कर व ब्याज के बिन्दु पर अस्वीकार की जाती हैं।

9. शास्ति के बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय (2009) 23 वीएसटी 249 श्री कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू, टैक्स अपडेट वोल्यूम 43 पार्ट 4 पेज 158 का संक्षिप्त उल्लेख निम्नानुसार है:-

**"So far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellant's account books, where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealer's own account books and the assessing authorities includes these items in the dealers' turnovers disallowing the exemption penalty cannot be imposed. The penalty levied stands set aside."**

माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त के अनुरूप व्यवहारी के बिना कर चोरी की मंशा प्रमाणित होने के आधार पर, आरोपित शास्ति अविधिक प्रतीत होती है। अतः शास्ति के बिन्दु पर अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

10. फलतः माननीय कर बोर्ड द्वारा ऐसे प्रकरणों में दिये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों में कर एवं ब्याज के बिन्दु पर अस्वीकार की जाती है तथा परन्तु शास्तियों के बिन्दु पर स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)  
सदस्य

(मदन लाल)  
सदस्य